

प्रेस नोट जनपद-रामपुर दिनांक 15-06-2022

थाना मिलकखानम:-वन अधिनियम में तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 15-06-2022 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा सकटपुरा तिराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक छोटा हाथी तिरपाल से ढका हुआ पीपलीवन से सैदनगर मुढिया के रास्ते आते दिखाई दिया। चेकिंग हेतु पुलिस टीम द्वारा छोटा हाथी को रूकने का इशारा किया गया परन्तु छोटा हाथी नहीं रूका। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए छोटा हाथी वाहन को रूकवाकर चेक किया गया, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे। वाहन की तलाशी ली गयी जिसमें खैर प्रकाष्ठ कुल-7 नग, सागौन प्रकाष्ठ के 05 नग, 01 यूके लिप्टिस व 07 कुण्टल मिश्रित प्रजाति जलौनी बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना मिलकखानम, रामपुर पर मु0अ0सं0-57/22 धारा 379,411 भादवि व 26/41/42/52/65 भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

- 1 -नबाब हुसैन पुत्र घसीटा निवासी ग्राम काशीपुर थाना गंज, रामपुर।
- 2 -मौहम्मद हसन पुत्र घसीटा निवासी ग्राम दारानगर थाना मिलकखानम,रामपुर।
- 3 -रिहान अली पुत्र अख्तर अली निवासी ग्राम काशीपुर थाना गंज, रामपुर।

थाना सिविल लाइन:-300 ग्राम चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15-06-2022 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा गंगन पुत्र रामप्रसाद निवासी साई विहार कालौनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन, रामपुर को 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-315/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:-आत्महत्या के लिए उकसाने में एक अभियुक्त गिरफ्तार

अनिल पुत्र रामकुमर निवासी एहरोला थाना कोतवाली जनपद रामपुर हाल निवासी कृष्णा विहार कालौनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन, रामपुर द्वारा वादी श्री छत्रपाल की पत्नी मालती देवी उर्फ सुनीता उम्र लगभग-38 वर्ष को मारपीट कर प्रताडित करना जिससे वादी की पत्नी ने सोतेले बेटे शिवलेश उम्र लगभग करीब-10 वर्ष के साथ आत्महत्या कर लेना। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-315/22 धारा 306 भादवि बनाम अनिल पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 15-06-2022 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वाँछित चल रहा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।